



माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय
(मध्यप्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक 15, 1990 द्वारा स्थापित)
MAKHANLAL CHATURVEDI NATIONAL UNIVERSITY OF JOURNALISM & COMMUNICATION
(Setup by Act No. 15, 1990 of M.P. Legislative Assembly)

निदेशक
(संबद्ध अध्ययन संस्थाएँ)

परिपत्र

क्रमांक / सं.अ.सं. / 2021 / 515

दिनांक : 29/10/2021

प्रति,

संचालक,
समस्त संबद्ध अध्ययन संस्थाएँ
(मीडिया एवं आई.टी)

विषय— कुछ संबद्ध अध्ययन संस्थाओं द्वारा गठित "संघ" के संबंध में स्थिति स्पष्ट करने बावत्।

महोदय / महोदया,

आप सभी रेग्यूलेशन 18/2008 के प्रावधानों के अंतर्गत विश्वविद्यालय के संबद्ध अध्ययन संस्थाओं के सम्माननीय संचालक सदस्य हैं। आई.टी एवं मीडिया पाठ्यक्रमों के सुचारु संचालन और छात्रहित से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विश्वविद्यालय हमेशा ही अपनी संबद्ध संस्थाओं से सीधा संवाद करता आया है। विश्वविद्यालय प्रशासन आपके द्वारा दिये गए महत्वपूर्ण सुझावों, परामर्शों तथा शिकायतों को हमेशा ही सकारात्मक दृष्टिकोण से लेता रहा है। स्पष्ट है कि विश्वविद्यालय में अपनी बात कहने या किसी तर्कपूर्ण मांग को रखने के लिए संस्थाओं को किसी भी मध्यस्थ व्यक्ति अथवा यूनियन/संघ की आवश्यकता नहीं रही है।

परंतु ऐसा देखने में आया है कि कुछ संबद्ध संस्थाओं के संचालकों ने बिना विश्वविद्यालय की अनुमति के स्वयंभू ढंग से कोई संगठन बना लिया है। यही नहीं उसके माध्यम से विभिन्न संस्थाओं पर संघ की सदस्यता लेने के लिए भी दबाव बनाया जा रहा है। ऐसा कृत्रिम वातावरण बनाने का प्रयास भी किया जा रहा है कि संस्थाओं को न्याय पाने के लिए उन संस्थाओं का इस कथित संघ की सदस्यता लेना परम आवश्यक है। विश्वविद्यालय द्वारा अपनी सभी संबद्ध अध्ययन संस्थाओं को स्पष्ट किया जाता है कि विश्वविद्यालय ने किसी भी संस्था संघ, संगठन अथवा समूह को ऐसी कोई मान्यता नहीं दी है और न ही विश्वविद्यालय इस तरह की व्यवस्था का पक्षधर है।

अतः विनम्र आग्रह है कि सभी संस्थाएँ किसी संघ/संगठन में जुड़ने के अवांछनीय दबाव से मुक्त रहकर विश्वविद्यालय की उदार एवं पारदर्शी प्रशासनिक व्यवस्था पर बने विश्वास के अनुसार अभीष्ट उद्देश्यों के लिए समर्पित भाव से कार्य करते रहें। आप अपनी समस्याओं को सीधे निदेशक, संबद्ध अध्ययन संस्थाएँ को अथवा विश्वविद्यालय प्रशासन को भेज सकते हैं।

दीपावली की शुभकामनाओं के साथ।

(प्रो. (डॉ.) अविनाश वाजपेयी)
कुलसचिव